UPMZ010073152026

**न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर**

**<u>दाण्डिक निगरानी संख्या - 161 सन् 2026</u>**

जुबैर पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम इकरामपुराल दरमियान कैराना जिला शामली।

-निगरानीकर्ता/प्रार्थी

**बनाम**

उ.प्र. सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर

-विपक्षी

**<u>निर्णय</u>**

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 109 बी.एन.एस. थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर के मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज(सी.डि.)/द्वितीय मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.05.2026 से क्षुब्ध होकर संस्थित किया गया है, जिसके अंतर्गत निगरानीकर्ता का रिलीज प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।

**<u>2.</u>** संक्षेप में वह तथ्य, जिनके आधार पर यह निगरानी योजित की गयी है, इस प्रकार है कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 109 बी.एन.एस. थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर के अभियोग में निरूद्ध वाहन थार रॉक्स कार संख्या UP–19–यू–8655 को अपनी उसकी सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित थाने की आख्या आहूत की गई, जिसमें कथित वाहन

**दिनांक-22.06.2026**

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.22 16:39:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को उक्त मु.अ.सं. 61/2026 में थाना पुरकाजी पर दिनांक 05.05.2026 को दाखिल होना और माल मुकदमाती होने की आख्या प्रस्तुत की गई। जिसके पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वाहन का प्रयोग घटना कारित करने में किया जाना पाते हुए प्रश्नगत कार की निर्मुक्ति को लेकर निगरानीकर्ता/प्रार्थी का निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, जिससे विक्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गई है।

3. प्रश्नगत आदेश को निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी उक्त कार का पंजीकृत स्वामी है और निगरानीकर्ता का ड्राईवर बुक पर उक्त वाहन कार को लेकर गया था। आवेदक उपरोक्त मामले में नामजद नहीं है और न ही उसने कोई अपराथ किया है। विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.05.2026 से निगरानीकर्ता/ प्रार्थी की सख्त हकतलफी व नुकसान है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 25.05.2026 को निरस्त किए जाने तथा प्रश्नगत वाहन को उचित धनराशि की जमानत व अंडरटेकिंग लेकर निगरानीकर्ता/ प्रार्थी के हक में रिलीज किए जाने का अनुरोध किया गया है।

समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति और मूल रूप में, इंश्योरेंस की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

4. विद्वान डी.जी.सी. फौजदारी द्वारा निगरानी पर आपत्ति करते हुए कहा गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं है और निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को विस्तार से सुना तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली एवं तलबशुदा केस डायरी का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन व विश्लेषण किया।

**दिनांक-22.06.2026**

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

**6.** मामले के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.04.2026 को समय 21.10 बजे थाना पुरकाजी पर वादी रिंकुल द्वारा इस आशय की दर्ज करायी गयी थी कि वादी का भाई पिंकल लखनौता चौराहे पर डाक्टरी का कार्य करता है दिनांक 01.04.2026 को पिंकल अपनी गाड़ी मारूती इगनिस यू.के. 17 जे 1651 से मुजफ्फरनगर आ रहा था, शाम के सवा छः बजे के करीब जब वह पुरकाजी के पास भैंसानी बाईपास पर पहुंचा तो वादी के भाई की गाड़ी के आगे 3–4 अज्ञात बदमाशों ने महिन्द्रा थार रोक्स गाड़ी जिसका नं. यू.पी. 19 यू. जिसके कालस लगी थी आगे लगाकर वादी के भाई पिंकल को गाड़ी से उतार कर जान से मारने की नियत से लाठी, डंडे व सरियों से मारपीट की। वादी के भाई को घटना में गंभीर चोटे आई। शोर पर आस पास के लोगों ने वादी के भाई की जान बचायी और अस्पताल लेकर गये जहाँ से उसे मुजफ्फरनगर रैफर कर दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में यह जाहिर होता है कि निगरानीकर्ता/आवेदक उक्त प्रश्नगत वाहन थार रॉक्स कार संख्या UP–19–यू–8655 का पंजीकृत स्वामी है, जिसकी वैधता दिनांक 22.11.2039 तक है और आवेदक प्रकरण में नामजद नहीं है। इसके अलावा तलबशुदा केस डायरी के पर्चा संख्या 06 से जाहिर होता है कि आवेदक/प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाहन थार रॉक्स कार संख्या UP–19–यू–8655 को थाना हाजिर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए थाने में दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक उक्त वाहन का पंजीृत स्वामी है जो कि किस्तो पर है और वह किस्त जमा नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से उक्त वाहन को किराये पर लोगों को देने लगा। उपरोक्त वाहन को दिनांक 01.04.2026 को दीपक उपरोक्त अपने दोस्तों के साथ आया था और गाड़ी ले गया था और दिनांक 01.04.2026 को समय रात को 10.30 बजे के करीब आनन फाननन में गाड़ी दे गया था। जब आवेदक को जानकारी हुई तो वह गाड़ी को थाने पर लेकर आ गया। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन के थाना परिसर में खड़े रहने से उसके मूल्य व गुणवत्ता में ह्रास होने की प्रबल संभावना है। जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, जो कि उक्त वाहन के अवमुक्त किये जाने के लिये परम आवश्यक है।

**दिनांक-22.06.2026**

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

माननीय सर्वोच न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46) ए.सी.सी. 233 (एस.सी.)** में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत वाहनों को निर्मुक्त किए जाने के लिए नीति–निर्देशक सिद्धान्त जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जब्त किए गए वाहनों को लम्बे समय तक थाना पर निरूद्ध रखने का कोई महत्व नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का विधि सम्मत् तरीके से व तत्परता से प्रयोग करने के निर्देश देते हुए ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पन्द्रह दिन से एक माह की अवधि में करने के निर्देश निर्गत किए हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **आदेश कुमार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. 869** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जहाँ कोई वाहन किसी अपराध की विषय–वस्तु होने के कारण पुलिस द्वारा जब्त किया गया हो, वहाँ ऐसे वाहन को अधिक समय तक न्यायालय या पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बालाल उपरोक्त व श्रीमती बसव्वा कोम डी० पाटिल बनाम राज्य 1977 (14) ए.सी.सी. 2020 (एस.सी.)** में प्रतिपादित मतों के आलोक में ऐसे वाहन को पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए। इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय में योजित फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र के आवेदक द्वारा प्रश्नगत वाहन से घटना कारित करते हुए एक मृत्यु कारित की गई थी और उक्त आवेदक आदेश कुमार को अपराध में दोषसिद्ध किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक या टाटा मोटर्स के हक में प्रश्नगत वाहन अवमुक्त करने के आदेश निर्गत किए हैं।

अतः उक्त परीक्षण के अधीन यह फौजदारी निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश संधारणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

वर्तमान फौजदारी निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.05.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को यह आदेश इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक है कि वह

**दिनांक-22.06.2026**

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

प्रश्नगत वाहन के मूल्य व ह्रास को ध्यान में रखते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः विधि अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निगरानीकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 23.06.2026 को उपस्थित हो।

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।
I.D.No.– UP05746

दिनांकः22.06.2026

आज यह निर्णय खुल न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।
I.D.No.– UP05746

दिनांकः22.06.2026